न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 188/2019

अनवान :

सोमवीर पुत्र श्री वेदप्रकाश जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. वेदप्रकाश पुत्र हनुमान सिंह जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. रेखा कुमारी पुत्री वेदप्रकाश जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. पूजा कुमारी पुत्री वेदप्रकाश जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बेरवाल : वादी

निर्णय दिनांक : 17-3-2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं0 220/203 खसरा सं0 409 की 2.7830 है0 खसरा सं0 420 की 2.1380 है0 खसरा सं0 468 की 0.3160 है0 खसरा सं0 469 की 1.4670 है0 कुल खसरा 4 की 6.7040 है0 मुश्तर्का खाता की खातेदारी आराजी है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 वेदप्रकाश का 1/18 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व इसी चक के खाता सं0 248/260 के खसरा सं0 225 की 5.5600 है0, खसरा नं0 297 की 5.4140 है0 खसरा सं0 324 की 7.1600 है0 खसरा सं0 707 की 4.1490 है0 कुल खसरा 4 की 22.2890 है0 बारानी मुश्तर्का खाता की खातेदारी आराजी दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 वेदप्रकाश के नाम 1/9 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। उक्त वाद भूमि वादी के मौरूसाला पतराम पि0मु0 हीरा की हुआ करती थी उसकी मृत्यु के बाद वादी के दादा हनुमान सिंह व उसके भाईयों के नाम से औद हो गई और हनुमानसिंह से प्रतिवादी सं0 1 व उसके भाईयों के नाम कर्ता खानदान होने के कारण औद हो गई। वाद कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की कोपार्शनरी दादालाई सम्पति है जो प्रतिवादी वेदप्रकाश को अपने पिता हनुमान सिंह से विरासतन प्राप्त हुई है। प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी सोमवीर व प्रतिवादी सं0 1 वेदप्रकाश के पक्ष में तर्क कर दिया है। इस प्रकार वाद कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी दोनों बहिस्सा बराबर यानि 1/2-1/2 हिस्सा के [illegible] काश्तकार है।

वाद पेश होने पर [illegible] प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के [illegible] वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली प[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:45:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

गया। साक्ष्य वादी में वादी सोमवीर के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 ता 4 प्रदर्शित करवाये गये। पत्रावली बहस हेतु रखी गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौरान बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की कोपार्शनरी दादालाई सम्पति है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने हस्तगत वाद ग्राम भाडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि में जो प्रदर्श 3 व 4 प्रदर्शित करवाये है उनमें वाद भूमि वादी के दादा हनुमानसिंह व परदादा पतराम के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 में वेदप्रकाश के वारिसान में पत्नी रोशनी देवी, एक पुत्र सोमवीर व दो पुत्रियां रेखा कुमारी व पूजा कुमारी होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं० 220/203 खसरा सं० 409 की 2.7830 है० खसरा सं० 420 की 2.1380 है० खसरा सं० 468 की 0.3160 है० खसरा सं० 469 की 1.4670 है० कुल खसरा 4 की 6.7040 है० मुश्तर्का खाता की खातेदारी आराजी है जिसमें प्रतिवादी सं० 1 वेदप्रकाश का 1/18 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व इसी चक के खाता सं० 248/260 के खसरा सं० 225 की 5.5600 है०, खसरा न० 297 की 5.4140 है० खसरा सं० 324 की 7.1600 है० खसरा सं० 707 की 4.1490 है० कुल खसरा 4 की 22.2890 है० बारानी मुश्तर्का खाता की खातेदारी आराजी दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं० 1 वेदप्रकाश के नाम 1/9 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं० 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं० 1 दोनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीगण सं० 2 व 3 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वाद कृषि भूमि उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं० 1 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12-3-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा
(राकेश ...) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:45:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 188/2019

अनवान :

1 सोमवीर पुत्र श्री वेदप्रकाश जाति जाट निवासी भाड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. वेदप्रकाश पुत्र हनुमान सिंह जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. रेखा कुमारी पुत्री वेदप्रकाश जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. पूजा कुमारी पुत्री वेदप्रकाश जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं0 220/203 खसरा सं0 409 की 2.7830 है0 खसरा सं0 420 की 2.1380 है0 खसरा सं0 468 की 0.3160 है0 खसरा सं0 469 की 1.4670 है0 कुल खसरा 4 की 6.7040 है0 मुश्तर्का खाता की खातेदारी आराजी है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 वेदप्रकाश का 1/18 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व इसी चक के खाता सं0 248/260 के खसरा सं0 225 की 5.5600 है0, खसरा नं0 297 की 5.4140 है0 खसरा सं0 324 की 7.1600 है0 खसरा सं0 707 की 4.1490 है0 कुल खसरा 4 की 22.2890 है0 बारानी मुश्तर्का खाता की खातेदारी आराजी दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 वेदप्रकाश के नाम 1/9 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है मे तन्हा प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 दोनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वाद कृषि भूमि उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12-3-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:45:39 IST
Reason: SelfAttested

(मुकेश बारैठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner